

क्रमांक



नगर विवास मेरठ

(आवासीय)

स्वकर निर्धारण
(एक दृष्टि में)

RS-30/-



- सम्पत्ति कर स्वयं निर्धारित करें।
- प्रमुख सूचनाएँ
- शासनादेश
- उ०प्र० नगर निगम (सम्पत्ति) नियमावली 2000
(प्रथम संशोधन नियमावली 2002)
- प्रति वर्ग फिट किराया दरें
- कर की गणना
- भवन सूचना देने का प्रारूप
- बैंकों की सूची
- अन्य सूचनाएँ

नगर निगम, मेरठ द्वारा प्रसारित

नगर निगम, मेरठ फोन नं. (का.) 0121-2515133

फोन नं. (नि.) 0121-2660045



विवरणिका

क्र०सं०	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	3
2	शासनादेश सं० 6459/9/9/2000-63ज/95 टी०सी० दिनांक 24.04.2000	4-6
3	उ०प्र० नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000 यथा संशोधित (उ०प्र० नगर निगम (सम्पत्ति कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2002)	7-12
4	कक्ष (वार्ड) वार निर्धारित मासिक किराया दरों की सूची (संशोधित)	13-26
5	कर भुगतान हेतु अधिसूचित बैंकों की सूची	27
6	भवन कर (टैक्स) की गणना कैसे करें	28
7	सम्पत्ति कर स्व-निर्धारण प्रपत्र का प्रारूप (प्रपत्र-क)	29-30
8	भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्रफल की सूचना देने हेतु प्रारूप (प्रपत्र-ख)	31-32
9	बैंक में बैंक/नकद जमा करने का चालान फार्म	33

भूमिका

राज्य सरकार हो, स्थानीय निकाय या अन्य कोई भी संस्था, उस संस्था के संचालन हेतु धन की अत्यन्त आवश्यकता होती है जो करारोपण से प्राप्त होती है। करारोपण का इतिहास बहुत पुराना है जो अंग्रेजी शासनकाल का ही है। स्थानीय निकायों में सर्वप्रथम नगर पालिका अधिनियम 1916 पारित हुआ और उसके उपरान्त नगर महापालिका अधिनियम 1959 बना। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को स्वायत्तशासी संवैधानिक स्तर मिला और नगर महापालिका अधिनियम से संशोधित होकर नगर निगम अधिनियम 1959 हुआ।

वर्तमान में नगर निगमों में आय का प्रमुख स्रोत सम्पत्ति कर ही है जिसके निर्धारण हेतु वस्तुनिष्ठ व निश्चित मापदण्ड न होने के कारण पारदर्शिता का अभाव रहा है। इसी कारण नागरिकों को कर के भुगतान में काफी असुविधा होती है जिससे निकाय की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की मनोदशा को महसूस कर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन उ0प्र0 सरकार नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली 2000 को लागू किया जिसके अन्तर्गत नागरिकों को विकल्प उपलब्ध है कि वह अपने आवासीय भवन की स्वयं माप कर निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक सूचना भर निर्धारित मासिक किराया दर के हिसाब से सम्पत्ति कर की गणना स्वयं करें।

सम्पत्ति कर की गणना के सम्बन्ध में नागरिकों को सुविधा हेतु नगर निगम द्वारा "स्वःकर निर्धारण एक दृष्टि में" नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है, जिसके अन्तर्गत अधिक से अधिक सूचनायें प्रकाशित की गई हैं जिससे नागरिकों की जिज्ञासाओं का समाधान होगा। नागरिकों से अपील है कि उक्त पुस्तिका में अधिक से अधिक लाभ उठायें।

नगर आयुक्त
मेरठ।

प्रेषक,

श्री जय शंकर मिश्र
सचिव
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम, उत्तर प्रदेश
नगर विकास अनुभाग-9

विषय:- नगर निगमों की सीमान्तर्गत आवासीय भवनों पर देय सम्पत्तिकर की स्वःकर निर्धारण प्रणाली के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप प्रदेश के नगर निगमों को आत्म निर्भर बनाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति के सुदृढीकरण के उद्देश्य से सम्पत्तिकर निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ बनाते हुए नागरिकों को स्व कर निर्धारण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या 1435/नौ-9-2000-63ज/95-टीसी, दिनांक 22 अप्रैल, 2000 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 प्रख्यापित की गयी है, जिसकी एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। कृपया इस नियमावली के प्राविधानों का विभिन्न माध्यमों के जरिये व्यापक प्रचार-प्रसार कराना एवं मुख्य-मुख्य स्थानों पर होर्डिंग्स भी लगवाना सुनिश्चित किया जाये। हालांकि नियमावली के प्रावधान स्वतः स्पष्ट हैं, फिर भी निम्न बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है :-

- (1) नियमावली के नियम-7 के द्वारा किसी आवासीय भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा संशोधित) के उपबन्धों के अनुसार ऐसे आवासीय भवन पर देय सम्पत्तिकर के स्वतः निर्धारण का अधिकार दिया गया है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्तिकर को इस हेतु नियत प्रपत्र 'क' (नियम-7) पर विवरण सहित किसी अधिसूचित बैंक में जमा कर सकेगा।
- (2) नियमावली के नियम-3 के द्वारा प्रत्येक आवासीय भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को प्रपत्र-'ख' (नियम-3) पर भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में विवरण ऐसे नियत दिनांक तक नगर निगम में प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गयी है जो मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए। मुख्य नगर अधिकारी, नगर के विभिन्न वार्डों के लिए उक्त प्रपत्र-'ख' में विवरण प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न स्थानों को भी नियत करेंगे।
- (3) यह भी व्यवस्था की गई है कि जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित भवन को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन में लिया गया हो तो इसके 03 मास के भीतर प्रपत्र-'ख' में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

- (4) नियम-3 (4) में यह भी व्यवस्था की गई है कि जब कभी भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्रफल अथवा दोनों में कोई परिवर्तन/परिवर्धन किया जाता है तो इसके 03 मास के भीतर यथा स्थिति भवन स्वामी अथवा अध्यासी द्वारा प्रपत्र-‘ख’ में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (5) नियमावली के नियम-4 के अनुसार मुख्य नगर अधिकारी, अधिनियम की धारा-174 की उपधारा-1(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण कर प्रत्येक वार्ड के भीतर विभिन्न प्रकार के मांगों (24 मी० से अधिक चौड़े, 12 मी० से 24 मी० तक चौड़े व 12 मीटर के कम चौड़े) पर स्थिति एवं भवनों के प्रकार (पक्का भवन आर०सी०सी०/आर०बी० छत सहित अन्य पक्का भवन व कच्चा भवन) के रूप में वर्गीकृत करेगा और दो वर्ष के अन्तराल पर एक बार प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया की प्रति वर्ग फुट न्यूनतम मासिक किराये की दर निर्धारित करेगा। ऐसे किराये की दर निर्धारित करने में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 प्रयोजन हेतु सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम दरों को ध्यान में रखेगा।
- (6) नियमावली के नियम-8 में भवन स्वामियों/अध्यासियों द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने अथवा तथ्य छिपाने को दण्डनीय घोषित किया गया है। भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा प्रपत्र-‘क’ अथवा प्रपत्र ‘ख’ में दी गई सूचना विवरण से यदि नगर निगम को यह प्रतीत हो कि भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत सूचना दी गई है अथवा तथ्य छिपाये गये हैं तो निगम ऐसे स्वामी अथवा अध्यासी को दो सप्ताह के भीतर इस आशय का एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न गलत सूचना देने अथवा तथ्यों को छिपाने के लिए उस पर शास्ति आरोपित की जाये। ऐसी शास्ति 1000/- ₹० से अनधिक राशि की होगी। निगम भवन स्वामी अथवा अध्यासी जैसी भी स्थिति हो, से अधिनियम की धारा-213 के अन्तर्गत यह अपेक्षा करेगा कि ऐसे कारण बताओ नोटिस का जवाब 01 माह के भीतर दिया जाये। निर्धारित अवधि में प्राप्त होने वाले भवन स्वामी अथवा अध्यासी के किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात और ऐसी कोई जांच जिसे निगम द्वारा आवश्यक समझा जाए करने के पश्चात निगम सम्बन्धित भवन स्वामी अथवा अध्यासी जैसी भी स्थिति हो, एक हजार रुपये से अनाधिक राशि के शास्ति आरोपित कर सकेगा और उसकी वसूली सम्पत्तिकर की धनराशि के साथ किये जाने का आदेश दे सकता है।
- (7) जिन भवन स्वामियों/अध्यासियों द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार निगम द्वारा की जायेगी।
- (8) मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा कर दाताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम-1999 के द्वारा अधिनियम की मूल धारा-174 को संशोधित करते हुए नयी उप धारा-2 बढ़ायी गयी है जिसे आगे उद्धरित किया जा रहा है:-
- (2) यदि निगम ऐसा संकल्प करे तो वार्षिक मूल्य सम्पत्ति कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निम्न प्रकार होगा :
- (क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से यदि भवन 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है तो 25 प्रतिशत कम और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम पुराना है तो 32.5 प्रतिशत कम और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो 40 प्रतिशत कम समझा जायेगा और

(ख) किराये पर उठाये गये आवासित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन 10 वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत और यदि वह 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत, अधिक समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

(9) उपरोक्त के अलावा उक्त संशोधित अधिनियम द्वारा धारा-174 के खण्ड-1 के द्वारा भवन/भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट एरिया की गणना किये जाने को भी निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है।

स्पष्टीकरण एक :-

वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी :

(एक) कमरे	- आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप
(दो) आच्छादित बरामदा	- आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप
(तीन) बालकनी, कारीडर, रसोई और भण्डारगृह	- आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप
(चार) गैराज	- आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप
(पांच) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से	- कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।
अथवा	

आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत

स्पष्टीकरण दो :

(1) किसी भवन के मानक किराया, समस्त किराया या रीजनेबुल एनुअल रेंट की, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 के प्रयोजन के लिए है, गणना उस भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय नहीं की जायेगी।

(2) अनुरोध है कि स्व कर निर्धारण प्रणाली लागू किये जाने विषयक शासन के इस जनहितकारी आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये और कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाये।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जे०एस० मिश्र)

सचिव

संख्या 1459(1)/9-9-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त मा० नगर प्रमुख, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश।
7. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री नगर विकास, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से

(एन० एस० रवि)

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर निगम विकास अनुभाग-9

संख्या: 1435/9-9-2000-63-ज/95-टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2000

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा 174, 207-क, 221-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं जिसे उक्त अधिनियम की धारा-540 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या 1763-नौ-9-1999-63-ज/95 टी0सी0 दिनांक 16.6.1999 के अधीन पहले प्रकाशित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1959 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959, की धारा 174, 207-क, 207-ख, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 और 221-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000

(नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना सं० यू.ओ. 204/9-7-2002-63ज/95 टी0सी0 दिनांक 10 जनवरी, 2003 द्वारा संशोधित उ०प्र० नगर (सम्पत्ति कर) (प्रथम संशोधन) (नियमावली 2002) संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली (प्रथम संशोधन 2002) कही जायेगी।
(2) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों में स्थित भवनों पर लागू होगी।
(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
2. इस नियमावली में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो-
 - (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है
 - (ख) "भवनों का समूह" का तात्पर्य नियम-4 के अधीन उल्लिखित भवनों के समूह से है।
 - (ग) "भू समूह" का तात्पर्य नियम-4 के अधीन उल्लिखित भूमि के समूह से है।
 - (घ) "कच्चा भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो पक्का भवन नहीं है।
 - (ङ) "अधिसूचित बैंक" का तात्पर्य के साथ कर की धनराशि को जमा करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंकों से है।
 - (च) "सम्पत्ति" का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।
 - (छ) "पक्का भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन जिसकी दीवार ईंट या पत्थर या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो, से है।
 - (ज) "स्व-कर निर्धारण" का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "क" में दाखिल किये जाने वाले स्वतः निर्धारण विवरण से है।

- (झ) "कारपेट एरिया" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट कारपेट एरिया से है।
- (ञ) "आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर जिस पर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्र से है।
- (ट) "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 174 के अधीन निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है।
- (ठ) "मासिक किराया दर" का तात्पर्य नियम 4-ख के अनुसार नगर आयुक्त द्वारा विहित, यथास्थिति, भवनों या भूमि के कारपेट एरिया के प्रति वर्गफुट किराये से है।
- (ड) "आवासीय भवन" का तात्पर्य उस भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वाले व्यक्ति के अध्यासन से हो और उसमें ऐसे भवन भी है जिनमें आवासीय उपयोग का प्राविधान हो, किन्तु इसमें व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग के लिए होटल, लाज या किसी अन्य प्रकार के भवन सम्मिलित न होंगे।

3. भवन या भूखण्ड का कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण

- (1) नगर आयुक्त समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी से इन नियमावली में संलग्न प्रपत्र "ख" में यथास्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।
- (2) नगर आयुक्त, सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिये प्रपत्र "ख" में विवरण प्रस्तुत करने के लिये नगर के विभिन्न वार्डों के लिये विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।
- (3) जब कभी स्वामी द्वारा स्व-अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाये या इसके विपरीत हो तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र "ख" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापरक होगा।
- (4) जब किसी भवन में निर्माण या पुनर्निर्माण के फलस्वरूप आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से, साठ दिन के भीतर यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी के लिये प्रपत्र "ख" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापरक होगा।

4. सम्पत्तियों का वर्गीकरण :

- (1) नगर आयुक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्ड वार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात् :
 - (क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग,
 - (ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाला मार्ग,
 - (ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग
- (2) नगर आयुक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा :-

(क) पक्का भवन आर०सी०सी० छत या आर०बी० छत सहित,

(ख) अन्य पक्का भवन, या

(ग) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो कि खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है।

(3) नगर आयुक्त तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को नौ विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भूखण्डों के मामलों में तीन विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा -

(क) भवन के मामले में निम्नलिखित नौ समूह होंगे :-

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत सहित पक्का भवन।

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर.सी.सी. छत सहित पक्का भवन।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित पक्का भवन आर.सी.सी. छत सहित।

(चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(पांच) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(छः) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(सात) 24 मीटर से कम अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(आठ) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ख) भूमि के मामले में निम्नलिखित तीन समूह होंगे :-

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

4-क न्यूनतम मासिक किराए की दर का निर्धारण :

नगर आयुक्त वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार, यथास्थिति, भवनों के प्रत्येक समूह के लिये कारपेट एरिया के प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिये क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्ग फुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर निम्न को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा -

(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर, और

(दो) ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम दर :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व नगर आयुक्त ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियाँ दाखिल करने के लिये न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का वारह भिन्न-भिन्न वण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक वण्डल में, यथास्थिति, भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिये प्राप्त आपत्तियाँ रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं नगर आयुक्त द्वारा या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाये। आपत्तियों

का बण्डलवार विनिश्चित किया जायेगा। कारपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए, आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरे कारपेट एरिया दरों का 80 प्रतिशत होगी जिन्हें स्वकर निर्धारण के लिए माना जायेगा।

4-ख न्यूनतम मासिक किराए की दर का प्रकाशन :

खण्ड-4क अधीन आपत्तियों के विनिश्चित किये जाने पर नगर आयुक्त ऐसे नगर में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में, गथास्थिति, वार्ड के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिये कारपेट एरिया के प्रतिवर्ग फुट किराये से न्यूनतम मासिक दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल के प्रति वर्ग फुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक लागू दर को अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् यह अन्तिम हो जायेगी।

4-ग कर का निर्धारण :

कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा—

(1) वार्षिक मूल्य की गणना वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया x निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12 x 80%

(2) देय कर : अधिनियम की धारा 148 के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार वार्षिक मूल्य के आधार पर कर देय होंगे।

(3) छूट:— अधिनियम में विहित उपबन्धों के अनुसार वार्षिक मूल्यांकन तथा देय कर में छूट अनुमन्य होगी।

(4) स्वनिर्धारण : आवासिक भवन के विषय में सम्पत्ति कर के भुगतान के लिये मुख्यतः दांयी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और नियम 4-ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुए और नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के स्थान पर इस नियमावली के प्रपत्र क में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हये नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित बैंक में नियम 3(1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक प्रपत्र "क" और चालान के साथ कर जमा करेगा।

(5) स्वकर निर्धारण में विशेष उपबन्ध : उपनियम (4) के अधीन नियत दिनांक तक स्वनिर्धारण द्वारा सम्पत्ति करों के दायित्व का भुगतान पूर्व वर्ष के दायित्व की सीमा, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये, से अधिक नहीं होगी।

5. कर निर्धारण सूची :—

(1) सभी भवनों या भूखण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची कर— गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार भवन की जायेगी—

(क) भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र क और ख पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर।

या

(ख) नियम समय के भीतर प्रपत्र क या ख में सूचनायें न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर

(ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे —

- (एक) सड़क या मौहल्ले जिससे सम्पत्ति स्थित हो, का नाम
- (दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्ट द्वारा जो पहचान के लिये पर्याप्त हो, सम्पत्ति का अभिधान।
- (तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुये कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। यदि किराये पर है तो किरायेदार का नाम।
- (चार) भवन या भूमि के समूह के लिये कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्रफल आधारित प्रति वर्गफुट किराये की न्यूनतम मासिक दर।
- (पांच) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों
- (छ) (चार) भवन निर्माण का वर्ष
- (सात) भवन निर्माण की प्रकृति
- (2) **स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध सूची:-** ऐसे सभी आकस्मिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र-क पर समय से स्वनिर्धारित कर जमा करा दिया गया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु नियम 5-क के प्राविधान ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे।
प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जांच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

5-क सूची का प्रकाशन एवं आपत्तियों की प्राप्ति :-

- (1) जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी भाग की कर निर्धारण सूची तैयार हो जाये तब नगर आयुक्त उस स्थान एवं समय के सम्बन्ध में जहाँ उक्त सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा, नगर में परिचालन वाले दो समाचार-पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायेगा।
- (2) भवन के कारपेट एरिया आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविष्टियों तथा छूट आदि के सम्बन्ध में नगर आयुक्त को सम्बोधित सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर लिखित रूप में भेजी जायेगी। किराये की मासिक दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (3) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी आपत्ति कर्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

6. करों का भुगतान :

नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी नियम 4, 4-ग और 5 के अधीन निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान हेतु स्वामी या अध्यासी को बिल भेजेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, जब तक नगर आयुक्त द्वारा अधिसूचित बैंक या नगर निगम के कार्यालय में कर का भुगतान किया जायेगा। यदि नियत दिनांक तक कर की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 221-क के अनुसार ब्याज देय होगा।
परन्तु यदि सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वकर निर्धारण किया गया है तो कर का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्धारित तिथि तक किया जायेगा।

7. किसी आवासीय भवन के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिये मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है।

8. शास्ति :

1. नगर आयुक्त यथास्थित, भवन या भूमि के प्रस्तुत कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफलों के विवरण या स्वकर निर्धारण के विवरणों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत विवरणों की यदा-कदा जांच करायेगा और भवन के कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाने या दरों आदि का त्रुटिपूर्ण विवरण देने की दशा में यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को इस आशय को दो सप्ताह का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को छुपाने अथवा सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण विवरण से सम्पत्ति कर की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने से अनधिक की शास्ति अधिरोपित की जाये।

2. यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी द्वारा दिये जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जाँच, जैसी आवश्यक समझी जाये करने के पश्चात् नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी जो नोटिस के अनुसार देय शास्ति से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकता है और सम्पत्ति कर की धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।

3. नियम-3 के उपनियम (1) और (3) के अधीन नियत समय के भीतर अपेक्षित विवरण न प्रस्तुत किये जाने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो प्रश्नगत भूखण्ड के क्षेत्रफल, 50 वर्ग मी० तक, 200 वर्ग मी० तक, 400 वर्ग मी० तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमशः 100.00 रुपये, 1000.00 रुपये, 5000.00 रुपये तथा 25000.00 रुपये हो सकती है परन्तु 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में, शास्ति का 5 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा।

नियत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में, नियम 5 के अधीन कर निर्धारण सूची तैयार करते समय नियम 4-क के अधीन प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल दर का उपयोग भी शास्ति के अतिरिक्त किया जायेगा।

4. किसी व्यक्ति द्वारा नियम 3 के उपनियम (4) का उल्लंघन करने की दशा में, सम्पत्ति कर की दुगुनी धनराशि अथवा प्रतिदिन 500 रुपये की दर से, जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा।

9. शास्ति का प्रशमन :

नियम-8 के उपनियम (1), (3) और (4) के अधीन शास्तियों का प्रशमन नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शास्ति की अधिकतम धनराशि के एक-तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनाधिक धनराशि पर किया जा सकेगा।

NAGAR NIGAM, MEERUT

Meerut - Mohalla Wise Rate List

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
1	नई बस्ती लल्लापुरा	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	शिव हरी मन्दिर, सिद्धार्थपुरम	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	भीम नगर, एक्ता विहार	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	विकास नगर	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	नई बस्ती राम मनोवर मन्दिर	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
2	मलियाना, मलियाना गगन कुंज,	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	जसवन्त नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	संजय कालोनी, जसवन्त शुगर मिल कालोनी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	शक्ति नगर मलियाना, शान्ति कुंज	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	मलियाना रोड	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	मलियाना बागपत रोड, नंदनी कुंज, गंगा कालोनी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
3	भगवतपुरा	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	लक्ष्मनपुरी, हौरामनगर, आलोक विहार	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	गणेश पुरी	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
4	मयूर विहार, एस-2-एस कारनेशन,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	अंसल कालोनी, सुयदेव विहार, अग्रसेन विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	ई-ब्लाक शास्त्रीनगर, रतन कुंज, आई-ब्लाक	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	ज्ञान निकेतन, चन्द्रकला एन्क्लेव, अंसल रोड	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	लक्ष्मीविहार, चाणक्यापुरी, रामापुरम, साई कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	साई नगर, शेरगढ़ी, मायापुरी, हंसविहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
5	शिवलोकपुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	मेहन्दी मौहल्ला, चौक मौहल्ला	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	मेथेनीया, जरसु, सादानपुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	न्यू गोविन्दपुरी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	शिव लोक नई बस्ती	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
6	शंकर नगर, कुण्डा ग्राम	1.12	0.11	0.12	0.45	0.67
	सुपरटैक ग्रीन विलेज, देवलोक मंगलपुरम, वेद	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	व्यासपुरी, सुपरटैक पॉमग्रीन, सूर्य पैलेस, विश्वा	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	इन्क्लेव, मेजर ध्यानचन्द नगर, दिल्ली रोड	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	मोहकमपुर, गायत्री स्टेट एक्सटेंशन, गायत्री	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	गार्डन, बाईपास दिल्ली रोड, डिफेंस गार्डन	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया-सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
	बाईपास दिल्ली रोड,अंकुर कालोनी,सूर्य	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	पैलेस, मानसरोवर गार्डन,श्याम जी एन्क्लेव	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	सुभांत सिटी,सूर्यापुरम,	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	कुण्डा इण्डस्ट्रियल, सुन्दर पुठठा उर्फ	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	ग्राम, मोहकमपुर ग्राम, डुंगरावली,	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	उद्योगपुरम	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
7	पीलना सोफीपुर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.95
	विवेक विहार	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	कृष्णा नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.83
	कोर्णाक कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	एकता नगर, कावेरी कालोनी,रोशनपुर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.83
	कावेरी कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.83
	इन्द्रप्रस्थ स्टेट-2	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	कौशल्य नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	डोगरा बस्ती, पी०ए०सी०, अमन विहार	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	न्यू फ्रेंड्स कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	वृन्दावन गार्डन 1, तिरुपति गार्डन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	गणपति एन्क्लेव, राजन कुंज	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	आनन्द निकेतन, गंगोत्री कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	सनराईज, शान्ति नगर, परिवहन पुरम	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	इशा अपार्टमेन्ट	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
8	लिसाडी	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	नूर नगर	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	नंगला शेरखां, भगवती कुन्ज	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
9	कासमपुर	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	नन्द पुरी, न्यू नन्द पुरी	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	अशोकपुरी, न्यू अशोकपुरी, शाक्यपुरी,	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	साधुनगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	टीका राम कालोनी, जानकी विहार 1	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	आर्मी कालोनी 1, फ्रैंड्स कालोनी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	लाला मोहम्मद पुर, लक्ष्मीनगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	लॉर्ड बुद्धा नगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
10	बराल परतापुर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	गंगोल रोड, कांशी,कताई मिल, शिव नगर	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	अछरोन्डा,	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
11	शिवपुरम	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	चौहानपुरी, देवतापुरम	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	न्यू देवलोक	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
12	शोभापुर, चमन विहार	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	जवाहर नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	योगी पुरम	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	श्रीराम विहार, सूर्या सिटी, वर्णिका स्टेट	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	विकास गार्डन, मैलफोर्ड सिटी	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	मैलफोर्ड सिटी 2, निहाल स्टेट	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	रामा कुंज, गोल्ड कोस्ट	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
13	जय भीम नगर, दामोदर कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	हनी गोल्फ कालोनी, प्रेम प्रयाग कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	मोती प्रयाग, भोपाल विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	मित्रलोक कालोनी,	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	अम्बेडकर मेडिकल कालेज रोड	2.97	0.30	0.33	1.19	1.78
14	कालियागढी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	जागृति विहार से-7, 8	2.20	0.20	0.22	0.80	1.20
	कीर्ति पैलेस, लख्मी विहार	2.20	0.20	0.22	0.80	1.20
15	न्यू मुल्तान नगर, मुल्तान नगर, रतन नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	इन्द्रा कालोनी, नन्दनी कुंज	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	मफेयर कालोनी बागपत रोड, ऋषि नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	शेखपुरा, मोक्षपुरी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	पुष्प विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
16	रामगढी	1.12	0.11	0.12	0.45	0.67
	औरंगशाहपुर डिग्गी, अजन्ता कालोनी,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	जनकपुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	स्पोर्ट्स कालोनी	2.00	0.20	0.22	0.80	1.20
	चुगी विक्टोरिया पार्क	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	जसरामपुरा	1.12	0.11	0.12	0.45	0.67
	यूनिवर्सिटी रोड	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	मंगल पाण्डे नगर से-1	1.40	0.14	0.15	0.56	0.84
	वलवन्त नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	जज कालोनी	1.40	0.14	0.15	0.56	0.84
17	अब्दुल्लापुर, जहाँगीर, खालसा बाज़ार	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	खिरनी, हंडिया मौहल्ला	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
	अहमदपुरा, नई बस्ती, गढ़ी, कोर्ट, रैसाना	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	ग्लोबल सिटी, गंगा सागर, कोरल सिप्रिंग्स	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
18	सराय काजी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	जागृति विहार सैक्टर 6 एवं 9	2.20	0.20	0.22	0.80	1.20
	कुंज विहार, सोमदत्त सिटी ए व बी ब्लॉक	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	तक्षशिला कालोनी	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	सोमदत्त विहार, तेज विहार, हरवंश विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	राजवंश विहार, हनुमान विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
19	दायमपुर, इग्लास नगर डाबका	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	सिल्वर सिटी, साई धाम, गणेश वाटिका	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	बाला जी गार्डन, प्रेम नगर, मयूर विहार	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	मुरलीपुर, लखवाया, रोहिणी कुंज	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	अमन विहार, भूषण विहार, अर्जुन पुरम	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	श्री राम नगर, पालम विहार, सूर्या नगर	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	विष्णु पुरम, सनसिटी, कवि नगर	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	गोल्डन विहार, कृष्णा वर्ल्ड	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	नीलकण्ठ एस्टेट, संगम विहार	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
20	उंचा मौहल्ला, नई मण्डी, AWHO कॉलोनी	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	खटकाना मौहल्ला, साई प्लाजा	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	अजाद नगर, डिग्गी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	मारवाड़ी मौहल्ला, गिहरा मौहल्ला	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	रक्षापुरम, डिफेन्स कालोनी	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	ईशापुरम, मीनाक्षीपुरम	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	न्यू मीनाक्षीपुरम	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
21	मॉडल टाऊन, आर्या नगर, शास्त्री कालोनी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	राम नगर, मंगल पुरी, सुन्दर नगर,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	जानकी विहार, तुलसी कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	डिफेन्स एनक्लेव ए०, डिफेन्स एनक्लेव बी०	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	डिफेन्स एनक्लेव सी०, टीचर कालोनी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	श्रद्धा एनक्लेव	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
22	गोलाबद्ध, सरस्वती विहार से-1, 2	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	गोकुल विहार, गगन एनक्लेव, गगन विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	जवाहर विहार फेस-2, हरदेव विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	नन्द विहार	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	शिवरामपुरम, शान्तिकुंज, नारायण गार्डन,	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83

वार्ड सं०	मोहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
	शालिमार गार्डन, संगम विहार, कृष्णा विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	ऐरा सिटी, तिरुपति एनक्लेव	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
23	गोविन्दीपुरी सुभाष पुरी, प्रेमपुरी, बड़ा बाजार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	पटेल पुरी, छोटा बाजार, जवाहर पुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	बादाम मण्डी,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	न्यू गोविन्दपुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.78
24	कसेरु बक्सर, राधा गार्डन,	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	यशोदा कुंज, लाल पार्क, तिरुपति गार्डन,	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	पी०आर० एनक्लेव, नेहरू नगर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	पी०एन०टी० कालोनी, राजेन्द्र पुरम	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
25	अनुप नगर फाजलपुर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	खटिकपुरा संगम विहार	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	खटिकपुरा नई बस्ती	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	न्यू सैनिक विहार, सूर्या कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	तेज विहार हरवंश विहार, कृष्णा कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	बन्नू मियाँ कालोनी, महावीर नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	विकास एनक्लेव	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
26	तेजगढ़ी	2.97	0.30	0.33	1.19	1.78
	शास्त्रीनगर से-1, 6, 7	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	शास्त्रीनगर ब्लॉक-ए, डी, एफ, जी, एच	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	गीता कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	तरु कुंज	2.97	0.30	0.33	1.19	1.78
	कुटी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
27	मुर्करबपुर पल्हेड़ा, कृष्णा प्लाजा	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	गुरुकुलपुरम	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	पल्लवपुरम फेस-1, 2, रॉयाल पार्क	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	मधु विहार, विजय अपार्टमेंट, कीर्तिनगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	शील कुंज, आनन्द लोक, वृंदावन प्लाजा	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	गुरुकुल, बलवन्त एनक्लेव, डबल स्टोरी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
28	पूर्वी रिठानी, इन्द्रापुरम कालोनी, रिझानी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	पश्चिमी रिठानी, अम्बेडकर नगर कालोनी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	परतापुर औद्योगिक क्षेत्र	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
29	सुभाष नगर, पूर्वा शेख लाल	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	पूर्वा मुपितयान, सराय मुपितयान	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	सड़क हापुड	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का मवन	पक्का मवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
	बगीचा मौ० हुसैन	1.72	0.17	0.19	0.69	1.03
	पुर्वा ऐजाज अली	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
30	मोदीपुरम, जनता कालोनी, दुर्गा कालोनी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	शिव नगर, पुष्प विहार, भरत विहार, न्यू	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	भरत विहार, देव नगर, एस०सी० कालोनी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	रोशनी कुंज, रोशनपुर डौरली, दुर्गा फार्म	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	आकांशा पुरम, आकांशा हाईट, इंडनगार्डन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	लोटस टावर, मेजर हरिश्चन्द्र, सन सिटी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	कालोनी, गोल्डन एवेन्यू-3 तक,	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	क्वीन्स लैण्ड पार्क कालोनी, असंल	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
31	शताब्दी नगर-1,2,3,4,5, पंचवटी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	कचनपुर घोपला, राजकमल एनक्लेव	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	शताब्दी नगर-4सी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
32	सिविल लाइन, पुलिस लाइन,	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	शर्मा नगर	2.60	0.26	0.29	1.04	1.22
	साकेत, साकेत एनक्लेव, साकेत कुंज	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	मानसरोवर	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	स्पोर्ट स्टेडियम	3.72	0.37	0.41	1.20	1.56
33	काजीपुर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	घोसीपुर	1.49	0.15	0.16	0.63	0.95
	राम मनोहर, लोहियानगर	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
34	शिव शक्ति नगर, प्रेम विहार, अम्बेडकर नगर	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	अग्रवाल कालोनी, बाल्मिकी नगर	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	साई पुरम	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	तेजपाल एनक्लेव, इन्द्रा नगर, आर०के०पुरम	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
35	हाफिजाबाद मेवला	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	दिल्ली रोड	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	वेरीपुरा	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	पंजाबी पुरा (शम्भू नगर)	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	टी०पी० नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	कमला नगर, शम्भू नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	पंजाबी पुरा 2 (टी०पी० नगर)	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	उत्तम नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	गुप्ता कालोनी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	रघुकुल विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
	नन्दन विहार, संत विहार, महावीर नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	जगन्नाथ पुरी, गुरु नानक नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	श्री राम पैलेस	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
36	बुढ़ेरा जाहिदपुर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	हुमायु नगर	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	जमना नगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	ए-वन कालोनी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	मोबिन कालोनी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
37	गंगा नगर ब्लाक-ए, बी, सी, डी, ई.	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	गंगा नगर ब्लाक-एफ, जी, एच, आई	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	गंगा नगर ब्लाक-जे, के, एल, एम., एन	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	गंगा नगर ब्लाक-ओ, पी, एक्स	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	भागीरथी कुंज, गंगाधाम, गंगा टावर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	गंगा गेलेक्सी, ग्रेटर गंगा, अलक नन्दा	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	गंगा गार्डन, गंगा सिटी, पेराडाईज	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
38	खड़ौली,	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	रामपुर पावटी, गोडविन कालोनी, बंडरसिटी	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	अपेक्स सिटी अल्फा सिटी	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	चन्द्रशेखर कालोनी, पठानपुरा, आनंदविहार	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	सुभारती कैम्पस, लवकुश पुरम, दीप विहार	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	नारायण कालोनी,	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
39	ब्रह्मपुरी पश्चिम	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	माता का बाग	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	शिव शंकरपुरी, किशनपुरी	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	सरदार पटेल गंज	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	पांडव देहली गेट, रिमथ गंज	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
40	नतेश पुरम	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	बुखार पुरा, दांतल जतौली, चौ०भीमसिंहनगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	हरीनगर, नोर्थ सरधना, राजनगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	ओमनगर, संत विहार, आफिसर कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	सेक्टर-6 श्रद्धापुरी, सै-सी श्रद्धापुरी ब्लाक-1	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	श्रद्धापुरी सै-1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ई ब्लाक	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	शिव विहार, सत्यम विहार, सरोज वाटिका	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	हरि लोक, फूल सिंह नगर, अनूश्री	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	एनक्लेव, किशन कुंज, केन्द्रिय विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
	कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
41	अशोक नगर, नंगला ताशी, दिवान चन्द एन०	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	अमोलिक एन्चलेव, जाट कालोनी,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	श्रद्धापुरी सै-2 नरेन्द्र नगर,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	कृष्णा कालोनी, कृष्णा विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	हिन्द नगर खिर्वा रोड, कैलाश विहार,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	ड्रीम सिटी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	सैनिक विहार, श्रद्धापुरी ए.बी.सी.डी.ई ब्लॉक	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	सैनिक कालोनी, गायत्री हाईट्स, आर्क सिटी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	वैष्णोधाम कालोनी,	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
42	रेलवे रोड, जैन नगर, प्रेम पुरी, शान्ति नगर	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	आनन्द पुरी, रोमकपुरा	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	मधुबन कालोनी, दशमेश कालोनी	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	पुर्वा जुगल किशोर, भट्टी पुरा	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	देवपुरी, न्यू देवपुरी	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
43	ब्रह्मपुरी पुर्वी	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	गौतम नगर	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
44	मोहनपुरी, पुरानी मोहनपुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	न्यू हनुमानपुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	शिव पुरी	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	शिवाजी रोड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	न्यू मोहनपुरी, हनुमानपुरी, लक्ष्मीनगर, दुर्गानगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	विकास विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	कोर्ट कम्पाउण्ड, मेरठ कालेज कम्पाउण्ड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
45	जागृति विहार सै-1,2,3,4,5	2.00	0.20	0.22	0.80	1.20
	शास्त्रीनगर ब्लॉक-बी, सी	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
46	यादगार पुर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	संजय नगर,	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	वसंत विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	पांडव नगर ब्लॉक-जे	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	न्यू आर्य नगर, न्यू प्रभात नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
47	पुर्वा अहिरान	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	शाहपीर गेट	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	जाहिदयान	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	बुढाना गेट	1.25	0.33	0.36	1.20	1.80

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
	सराय शाहपीर	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	शाहपीर जदीद	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
48	माधवपुरम सै-1,2 3,4	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	लवकुश कालोनी, द्वारिकापुरी, सरस्वती लोक	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	प्रताप विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
49	पुर्वा महावीर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	कम्बोह गेट, बाग शाह रड़का	2.42	0.24	0.27	0.97	1.45
	वैली बाजार	3.25	0.33	0.36	1.20	1.80
	बागपत गेट	2.32	0.22	0.25	0.89	1.34
	कोटला	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
50	पाडव नगर ब्लाक-ए, बी, सी, डी, ई, एफ	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	पाडव नगर ब्लाक-जी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	नंगला बट्टू, प्रभात नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	सुर्या नगर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	प्रगति नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	नेताजी नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	सर्वोदय कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
51	साबुन गोदाम	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	कन्हैया बाटिका, चन्द्रलोक, नवल विहार	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	गुलमोहर पार्क, आनन्दा कालोनी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	बसंत कुंज, ज्वाला नगर, किशनपुरा	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	सुमनपुरी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	कालन्दी कालोनी, दिनेश विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
52	भोपाल सिंह रोड, कालिज रोड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	करौली रोड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	तिलक रोड, जवाहर क्वार्टर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	आजाद क्लथ मार्केट	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	कल्याणी टेलिफोन एक्सचेंज	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	आदर्श नगर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	पी०एल० शर्मा रोड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	नेहरू नगर रोड	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	बेगम ब्रिज रोड	4.18	0.42	0.46	1.20	1.80
	वेस्टर्न कचहरी रोड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	विजय नगर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
53	शास्त्रीनगर सै-2, 3, 4, 5	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
54	नील की कोठी, वद्या नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	पुर्वा इलाही बक्श सेनी वाली गली	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	जाटान स्ट्रीट	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	खिस्तखजान, महाजन पाड़ा, मुर्करब हुसैन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	द्वारिकापुरी, हरी नगर	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	करम अली	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
55	जाटव गेट	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	फतेहउल्लापुर, पहलवान नगर, नूर गार्डन	2.23	0.22	0.25	0.89	1.34
	चमन कालोनी, इत्तेफाक नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	शोकत कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	प्रहलाद नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	पुर्वा अफज़ल रहमान, महमूद नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
56	निचा सददीक नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	सददीक नग, पदमपुरा	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	पिल्लोखडी रोड	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	बनी सराय	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	उदेय सिंह, उदेय पार्क	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	पल्लवपुरम टी-पाकेट	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
57	ग्रेटर अप्पु एनक्लेव, यात्री पुरम, अक्षरधाम	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	मधुर एनक्लेव, पल्लवपुरम फेस-2	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	जनता कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	हनुमानपुरी, लक्ष्मी नगर, बनशी नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	सरस्वती मन्दिर, देवी नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	आर्या नगर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
58	सूरजकुण्ड रोड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	गांधी नगर, राम बाग	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	जय देवी नगर, लाल सिंह नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	स्टेट बैंक कालोनी, सम्राट पैलेस	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	वैशाली कालोनी, पंचशील, शिव सरोवर	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	मीरा एनक्लेव	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
59	जनता कालोनी, कल्याण नगर, मुरारी पुरम	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	नेहरु नगर, फुलबाग कालोनी	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
60	शास्त्रीनगर सै-8, 9, 11, 13	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	शास्त्रीनगर ब्लाक-एल 2	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
61	शास्त्रीनगर ब्लाक-क पुराना	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०वी०सी०
	शास्त्रीनगर ब्लाक-ज	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
62	इन्द्रा नगर-2, इन्द्रा नगर-1, लोधी बज़ार	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	विशन चौक, दीप नर्सिंग होम, पजाया	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
63	शास्त्रीनगर एल-ब्लाक	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	प्रवेश विहार, बैंक कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	वसुन्धरा कालोनी, सरदार पटेल नगर,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	रामापुरम	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	शास्त्रीनगर के ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
64	उत्तरी पटेल नगर	2.79	0.28	0.31	1.12	1.67
	पी०-सोतीगंज, उत्तर सोतीगंज	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	देव नगर मिशन कम्पाउण्ड	2.79	0.28	0.31	1.12	1.67
	लाजपत राय मार्केट	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	सराय खैरनगर	2.42	0.24	0.27	0.97	1.45
	पटेल नगर कालोनी, द० पटेलनगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
65	खैरनगर गेट, बाज़ार खैरनगर	2.42	0.24	0.27	0.97	1.45
	कोठी अतानस, टंकी कम्पाउण्ड	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
66	सराय बहलीम	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	पुर्वा अब्दुलवाली	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	नौगजा, 1हगजा, पुर्वा निहाल सिंह	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
67	कैलाश पुरी, नौचन्दी कम्पाउण्ड, चैतन्यपुरम	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	नौचन्दी गढ़ रोड	2.97	0.30	0.33	1.19	1.78
	राजेन्द्र नगर, राम बाग, पंचवटी, माधोनगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	प्रीत विहार, नरपत नगर, नौचन्दी ग्राउण्ड	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	दुर्गा नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
68	मकबरा डिग्गी, मकबरा अब्दु	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	मकबरा घोंसियान	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	पुर्वा हाफिज़ अब्दुल करीम, कैसर गंज	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
69	सराय लालदास	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	लाला का बाज़ार	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	इश्वर पुरी, ठठेरवाड़ा	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	बजाजा, छत्ता अली रजा, सराफा	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	हॉली चौक	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	चाहममरान	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	मालवीय चौक	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	डालम पाड़ा	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	कागजी बज़ार	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
	अनाज मण्डी, दाल मण्डी	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	कुँचानील	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	कच्ची सराय, माहेश्वरीपुरी, राजो की कुआ	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	कानून गोयान, बाबा शाहखाकी	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	कबाड़ी बजार	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	मुफ्तिवाड़ा	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	गुदड़ी बाजार	2.79	0.28	0.31	1.12	1.67
70	इस्माइल नगर, शाहनथन, छत्ता अनन्तराम	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	तोपचीवाड़ा	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	साबुन ग्राम, नक्कारघियान	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	पादियान	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	दाऊदग्राम	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	मेहमूद उल हक रोड	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	तीर ग्राम	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
71	दक्षिणी इस्लामाबाद	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	अजाद नगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	पुर्वा पीर बक्श, दरिया गंज	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
72	पुर्वा इस्लामाबाद	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	अजाद रोड गोला कुआ,	32	0.23	0.26	0.93	1.39
	बैंक कालोनी हापुड़ रोड, बुनकर नगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	राम नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	अजाद रोड सड़क हापुड़	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	विकासपुरी, लुहार पुरा	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	अजाद रोड सड़क गढ़	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	सड़क गढ़ कुंज विहार	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
73	जैदी नगर व मंजूर नगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	मवानी नगर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	जैदी सोसाइटी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	शास्त्रीनगर सै-10, शास्त्रीनगर सै-12	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
74	पुर्वा फय्याज़ अली, पुर्वा अहमद नगर	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	पुर्वा फतेह नगर	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	पुर्वा करामत अली	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	शक्ति नगर	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	पुर्वा हामिद हुसैन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
75	शाहजहाँ कालोनी, इस्लाम नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	बेल पत्थर कालोनी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
	समर गार्डन	2.23	0.22	0.25	0.89	1.34
	मदीना कालोनी, शहजाद कालोनी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	एस०एम० कालोनी / सिटी गार्डन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
76	श्याम नगर पश्चिम,	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	तारापुरी खुशहाल नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	पश्चिमी खुशहाल नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	उमर गार्डन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	ईदगाह गोल्डन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
77	लक्खीपुरा	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
78	स्वामी पाडा	2.79	0.28	0.31	1.12	1.67
	वीरुचाह, जल्लीवाडा, भाटवाडा	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	वेदवाडा	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	छिपीवाडा	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	पैडामल बाजार	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	मोरी पाडा	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	छाहशोर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	रायजादगान	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	सराये जीना	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	सुभाष बाजार	2.79	0.28	0.31	1.12	1.67
	खन्दक	3.72	0.37	0.41	0.20	1.80
	कृषणा पाडा	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
79	किंदवाई नगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	उमर नगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
80	करीम नगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
81	तारापुरी, मुमताज नगर, ईदगाह कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	समर कालो, अबरार नगर, जनता गार्डन कालो	2.04	0.20	0.22	0.82	1.26
	न्यू समर कालोनी, समय कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
82	फकरुद्दीन अली अहमद नगर पुर्वी	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	आशियाना कालोनी हापुड़ रोड	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	फतेहउल्लापुर रोड पुर्वी	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
83	फकरुद्दीन अली अहमद नगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	पी-गली नं० 1 से 9					
84	फकरुद्दीन अली अहमद नगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	पी-गली नं० 10 से 18					
85	जाकिर हुसैन कालोनी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	रसूल नगर, ए-यन कालोनी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.09
86	जाकिर हुसैन कालोनी भवन	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
	संख्या 1 से 1166	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
87	जाकिर हुसैन कालोनी भवन	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	संख्या 1167 से 2592					
88	श्याम नगर पुर्वी,	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	मजीद नगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	मेवगढ़ी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	शालिमार गार्डन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
89	रशीद नगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	मिया मोहम्मद नगर	1.12	0.11	0.12	0.45	0.67
	गुलजार इब्राहीम	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
90	फिरोज नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	शकूर नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	अलवी नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22

उपर्युक्त दरों की सूची 0 से 12 मी० चौड़ी सड़क पर स्थित भवनों के लिये लागू होगी, 12 से 24 मी० तक चौड़ी सड़क के लिए 0.10 पैसे 24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवनों के लिए 0.20 पैसे अतिरिक्त प्रति वर्ग फुट (कारपेट एरिया) जोड़ते हुए गणना की जायेगी।

BANK DETAIL

चैक एवं NEFT/RTGS के लिये :

बैंक का नाम : केनरा बैंक, केसर गंज, मेरठ
खाता संख्या : 85761010000012
आई०एफ०एस०सी० कोड : CNRB0018576

ON LINE पैसा जमा करने के लिये :

बैंक का नाम : HDFC BANK, गढ़ रोड, मेरठ
खाता संख्या : 50100060703079
आई०एफ०एस०सी० कोड : HDFC0001911

ON LINE पैसा जमा करने के लिये :

बैंक का नाम : ICICI BANK, लालकुर्ती, मेरठ
खाता संख्या : 628501044615
आई०एफ०एस०सी० कोड : ICIC0006285

Ptax.mnn.com पर जाकर ON LINE पैसा जमा करें

भवन की (टैक्स) की गणना कैसे करें

1. स्व-कर निर्धारण फार्म समाचार पत्र में प्रकाशित/पुरस्तिका में छपे प्रारूपों की छाया प्रति या जोन कार्यालय में उपलब्ध उपयोग करें।
2. फार्म भरने से पूर्व पूर्ण रूप से पढ़ें।
3. भवन/भूखण्ड का नम्बर (निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त) करें।
4. भवन के कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार करें : (सभी माप फुट में होना आवश्यक है)
(अ) कमरे, ड्राइंगरूम, आच्छादित बरामदे की पूरी माप करें, लम्बाई X चौड़ाई
(ब) किचन, स्टोर, बालकनी, कारीडोर लम्बाई X चौड़ाई का 50%
(स) गैराज लम्बाई X चौड़ाई का 25%
(द) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको, जीने से आच्छादित भाग की माप नहीं की जायेगी।

भवन का कुल कारपेट एरिया = अ+ब+सवर्गफुट

5. निर्धारित मासिक किराया दर से कारपेट एरिया के योग को गुणा करें इसे 12 से गुणा करने पर वार्षिक (ARV) प्राप्त होगा।
6. आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें कारपेट एरिया आधारित दरों का 80 प्रतिशत होगी।

सामान्य कर :

- (अ) उपरोक्त बिन्दु 4/5 से प्राप्त वार्षिक किराया मूल्यांकन (ARV) 12.5 प्रतिशत सामान्य कर होगा।
- (ब) सीवर लाईन उपलब्ध होने पर वार्षिक मूल्यांकन 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
7. प्रपत्र- 'क' पर भवन का विवरण अंकित करें।
8. चालान फार्म (पे-इन-स्लिप) में देय भवन कर की धनराशि भरकर निगम द्वारा अधिसूचित बैंक में धनराशि नकद/चैक का भुगतान करें तथा बैंक से चालान फार्म की करदाता 'प्रति हस्ताक्षर' एवं बैंक की मुहर सहित प्राप्त करें और सुरक्षित रखें। यही कर अदायगी की रसीद होगी। नगद तथा चैक जमा करने के लिए अलग-अलग चालान फार्म होंगे।
9. बैंक में धन जमा करते समय ही प्रपत्र 'क' पर सूचना भरकर जमा करके बैंक सभी अभिलेखों को नगर निगम तक पहुँचायेगा।
10. टैक्स सहित विवरण निगम द्वारा निर्धारित दिनांक तक बैंक में जमा कर दें, अन्यथा 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
- 11 (क) बिना 'प्रपत्र-क' के बैंक धनराशि प्राप्त नहीं करेगा।
(ख) निगम द्वारा निर्धारित दिनांक उपरान्त बिना 12 प्रतिशत ब्याज के बैंक धनराशि प्राप्त नहीं करेगा।
12. यदि "प्रपत्र-क" में गलत विवरण प्रस्तुत किया जायेगा तो रूपया 1000 तक जुर्माना होगा तथा कम जमा किया हुआ कर उसी दिनांक से 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किया जायेगा।
13. भवन किराये पर देने/रिक्त होने/भवन में निर्माण/पुनर्निर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल 25 प्रतिशत या अधिक वृद्धि होने पर "प्रपत्र-ख" में एक नया विवरण साठ दिनों के भीतर जमा करें।

नगर निगम, मेरठ

क्रमांक :

(स्वकर सम्बन्धी विवरण-पत्र)

प्रपत्र - क (आवासीय)

नोट:- कारपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाईयों के दृष्टिगत समस्त आच्छादित (कवर्ड) एरिया का कारपेट एरिया का 80 प्रतिशत माना जायेगा।

1. भूखण्ड/भवन स्वामी का नाम श्री/श्रीमती
2. भवन स्वामी के पिता/पति का नाम श्री
3. भूखण्ड/भवन अध्यासी का नाम श्री/श्रीमती
4. अध्यासी के पिता/पति का नाम श्री
5. भूखण्ड/भवन संख्या मौहल्ला वार्ड (हल्का).....
6. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल (1) वर्ग मी० में (2) वर्ग फुट में.....
7. भूखण्ड पर निर्मित भवन का कुल कवर्ड एरिया (वर्ग फुट में).....
8. कारपेट एरिया प्रति तल (वर्ग फुट में) :
(अ) तलघर (बेसमेन्ट)
(ब) भूतल
(स) प्रथम तल
(द) द्वितीय तल
(य) तृतीय तल
(र) अन्य तल
योग (वर्ग फुट में).....
9. भूखण्ड /भवन की अवस्थिति -
(अ) 12 मीटर तक चौड़ी सड़क पर
(ब) 12 मीटर से अधिक 24 मीटर तक चौड़ी सड़क पर
(स) 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर
10. भवन स्वामी द्वारा स्वयं प्रयोग में लाये जा रहे क्षेत्र का कारपेट एरिया (वर्ग फुट में).....
11. (अ) यदि किराये पर है तो किरायेदार द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे क्षेत्र का कारपेट एरिया (वर्ग फुट में).....किराया प्रति माह
(ब) भवन का यदि कोई भाग व्यावसायिक प्रयोग में हो तो उसका कवर्ड एरिया (वर्ग फुट में) .
.....
12. भवन निर्माण का वर्ष
13. नगर निगम द्वारा निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्ग फुट में).....

☐
☐
☐

14. (अ) भवन/भूखण्ड का वार्षिक मूल्यांकन निगम की दर के आधार पर (स्वयं प्रयोग के लिए) (कारपेट एरिया x दर x 12).....
 (ब) यदि भवन किराये पर है तो वास्तविक मासिक किराये के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन (मासिक किराया x 12).....
 (स) कुल वार्षिक मूल्यांकन (15अ+15ब)
15. (अ) गृहकर (कुल वार्षिक मूल्यांकन का 12.5 प्रतिशत) रुपये
- (ब) सीवर/ड्रेनेज कर (कुल वार्षिक मूल्यांकन का 2.5 प्रतिशत)
- (स) कुल सम्पत्ति कर (16अ+16ब)
16. (अ) जमा किये जाने वाले सम्पत्ति कर का विवरण -
- 17

क्रमांक	कर	राशि	दिनांक	रसीद/चालान संख्या बैंक	बैंक/ कैश
1.	सामान्य कर (गृहकर)				
2.	सीवर/ड्रेनेज कर				
3.	बकाया (यदि हो)				
	योग				

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी जानकारी और विश्वास में सही एवं पूर्ण है। उक्त भवन सरकारी या नगर निगम की भूमि पर निर्मित नहीं हैं। यदि उपर्युक्त ब्यौरे में कोई गलत सूचना जाँच उपरान्त पायी जाती है तो नगर निगम को मेरे विरुद्ध नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उ०प्र० नगर निगम (सम्पत्ति कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2002 के प्राविधानों के तहत कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर भवन स्वामी/अध्यासी

नाम

पिता/पति/संरक्षक का नाम

पता

मो०नं०

ई-मेल आईडी

केवल कार्यालय प्रयोग

1. कार्यालय (लिपिक) की टिप्पणी.....
 2. राजस्व निरीक्षक की निरीक्षण आख्या.....
 3. कर अधीक्षक की जाँचोपरान्त आख्या.....
 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन.....

नगर निगम, मेरठ

क्रमांक :

प्रपत्र - ख

(नियम-3 देखिये)

भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए

- क. (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम :.....
(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता :.....
(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या :.....
(चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता :.....
(पांच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता :
(छ) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता :

ख. निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा :

- (एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों.....
का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
(दो) समस्त बालकानी, कारीडर, रसोई और.....
भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
(तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम
(वर्ग फुट में) अथवा
(चार) आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत

टिप्पणी :- स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र का कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग. भवन का कारपेट एरिया :-

$$= (\text{एक}) + 1/2 \text{ख (दो)} + 1/4 \text{ख (तीन)}$$

- घ. (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में).....
(दो) भूमि का क्षेत्रफल यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में).....

(अ) भवन अवस्थित है

- (1) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
(2) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
(3) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ब) भवन के निर्माण की प्रकृति

- (1) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0सी0 छत सहित
(2) अन्य पक्का भवन
(3) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं हैं।

(स) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है

- (1) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर
(2) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
(3) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी : कृपया उपर्युक्त (एक), (दो) या (तीन) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगाये।

च. भवन या भूमि स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी : यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे "खाली" उल्लिखित किया जायेगा।

छ. भवन के निर्माण का वर्ष

सत्यापन

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक और पूर्ण है।

दिनांक :

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम

पिता-माता का नाम :.....

पूरा पता :

मोबाइल नं० :.....

E-Mail ID :.....

अभिस्वीकृति

हस्ताक्षर.....

स्थायी पता :.....

मोबाइल नं० :.....

E-Mail ID :.....

अभिस्वकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र "ख" प्राप्त किया गया उसका विवरण नीचे दिया गया है :

- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम
- (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता
- (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या
- (चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता
- (पांच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता
- (छः) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता :
-

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

पद नाम :

आज्ञा से

सचिव

- स्वच्छता हमारा कर्तव्य है।
- पेड लगाओ जीवन बचाओ।
- कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें।
- जल है तो कल है।
- वर्ष 2024 मिशन मेरठ बने स्मार्ट सिटी।

*मेरठवासियों का यही सपना
सबसे स्वच्छ हो मेरठ अपना।*